राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी (मुद्रांक) संख्या – 130/2014/जयपुर

मैं. क्लासिकल नेचुरल स्टोन्स प्रा. लि. जारिये निदेशक, नितेश कच्छल,
एच–143 एवं 149 मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर .....**प्रार्थी.**

बनाम्

राज्य सरकार, जरिये उपपंजीयक संख्या पंचम, जयपुर .....**अप्रार्थी.**

एकलपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री प्रदीप विश्नोई
अभिभाषक। .....**प्रार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरना
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 01.01.2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी कम्पनी की ओर से कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा प्रकरण सं. 516/2011 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2013 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

1. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डबलपमेंट एन्ड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (रीको लि.) द्वारा एक संशोधित पट्टा समझौता पत्र (लीज डीड) प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन हेतु उपपंजीयक–जयपुर पंचम के कार्यालय में दिनांक 05.02.2009 को प्रस्तुत की गयी। जो बाद विधिवत पंजीयन कर लौटा दी गयी।
2. महालेखाकार अंकेक्षण दल ने निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत दस्तावेज को लीज हस्तान्तरण का प्रकरण मानते हुए कमी मुद्रांक का आक्षेप गठित किया एवं उक्त आक्षेप के आधार पर उपपंजीयक ने रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर कमी मुद्रांक कर 3,51,900/–रूपये एवं कमी पंजीयन फीस 24,850/–रूपये वसूलने हेतु कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर को प्रेषित किया। कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर ने ऑडिट आक्षेप को सही मानते हुए उपपंजीयक का रेफरेन्स यथावत स्वीकार कर दिनांक 14.10.2013 को निर्णय पारित कर कमी मुद्रांक, कमी पंजीयन फीस एवं शास्ति सहित कुल 3,80,000/– रूपये प्रार्थी कम्पनी से वसूलने के आदेश दिये।
3. कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गयी। प्रकरण के तथ्यों एवं स्थिति को देखते हुए विलम्ब क्षमा करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी की ओर से

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप विश्नोई एवं राजस्व की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूर्व में प्रार्थी कम्पनी का नाम मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स प्रा. लि. था। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, मालवीय नगर के भूखण्ड सं. एच.143 व 149 की लीज डीड उक्त भूखण्डों का आवंटन वर्ष 1989 में होने से दिनांक 13.06.2006 को निष्पादित की एवं लीज डीड का पंजीयन दिनांक 17.11.2006 को हुआ। प्रार्थी कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना नाम **"मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स प्रा. लि."** से बदल कर **"मैसर्स क्लासिकल नेचूरल स्टोन्स प्रा.लि."** रखने की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की एवं रीको लि. को संशोधित लीज डीड निष्पादन का अनुरोध किया। कम्पनी का विधिक स्वरूप पूर्व में **"प्राईवेट लिमिटेड"** था एवं अब भी **"प्राईवेट लिमिटेड"** है तथा निदेशक भी पूवर्वत है। अतः यह सम्पत्ति अथवा लीज हस्तान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्व की ओर से निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अनुसार मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स प्रा.लि. को रीको द्वारा 1989 में औद्योगिक क्षेत्र मालवीय नगर, जयपुर में भूखण्ड सं. एच–143 व 149, 2000 वर्गमीटर के 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये गये। पूर्व में मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स कम्पनी का संविधान एकल स्वामित्व का था जिसे वर्ष 2006 में **"मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स प्रा.लि."** में परिवर्तन होने से लीज डीड निष्पादन 13.06.2006 को किया जाकर दिनांक 17.11.2006 को पंजीयन करवाया गया। वर्ष 2006 में कम्पनी के निदेशक के रूप में श्री विकास कंच्छल ने लीज डीड गृहीता के रूप में हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् कम्पनी का नाम **"मैसर्स चौधरी कॉटन जीनर्स प्रा.लि."** से बदल कर **"मैसर्स क्लासिकल नेचुरल स्टोन्स प्रा.लि."** किया गया एवं संशोधित लीज डीड पंजीयन हेतु वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गयी। इस पर भी निदेशक श्री विकास कंच्छल के ही हस्ताक्षर है। लीज डीड में स्पष्टतः केवल कम्पनी के नाम परिवर्तन का ही उल्लेख है। लीज डीड की शेष शर्तें पूर्ववत रहने का भी उल्लेख है।

इस तरह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दस्तावेज में न तो प्रार्थी कम्पनी के विधिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, न ही लीज डीड में अंकित सम्पत्ति हस्तान्तरित हुई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में **"लीज डीड बाय वे ऑफ ट्रॉन्सफर"** का मामला नहीं बनता है। कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर का आदेश दिनांक 14.10.2013 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। पूर्व में पर्याप्त मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, पंजीयन के समय वसूला जा चुका है।

अतः किसी प्रकार की बकाया देयता प्रार्थी कम्पनी की प्रतीत नहीं होती है।

निगरानीकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत् जमा करवायी गयी राशि 95,000/— रूपये (अक्षरे पिचानवें हजार रूपये) लौटाये जाने के आदेश के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

01/01/2016

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य